



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17112020-223083
CG-DL-E-17112020-223083

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3572]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 12, 2020/कार्तिक 21, 1942

No. 3572]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 12, 2020/KARTIKA 21, 1942

रेल मंत्रालय

(उत्तर रेलवे)

(निर्माण संगठन)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2020

का.आ.4064(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेलवे (संशोधन) अधिनियम - 2008, की धारा 2 के खण्ड (37क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से “सालारपुर-मालगाड़ी टर्मिनल स्टेशन के रूप में विकास” परियोजना को फैज़ाबाद जंक्शन से सालारपुर स्टेशन के बीच में लोक प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना उपबंधित कराने हेतु, उत्तर प्रदेश राज्य के अयोध्या जिला में 12.00 हेक्टेयर, 2.80 कि.मी. लम्बाई में भूमि अधिग्रहण हेतु “विशेष रेल परियोजना” के रूप में अधिसूचित करती है।

[फा. सं. 101-W/115/W.Spl/Estt. Pt III]

सुनील कुमार झा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS
(NORTHERN RAILWAY)
(Construction Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th November, 2020

S.O.4064(E).—In exercise of the power conferred by clause (37A) of Section 2 of The Railways (Amendment) Act-2008, the Central Government hereby notifies the Project of “Salarpur-Development as freight terminal station” as a Special Railway Project for acquisition of 12.00 hectare land, having length of 2.80 Km between Faizabad Junction – Salarpur Station in Ayodhya District in the State of Uttar Pradesh, for providing national infrastructure for a public purpose with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. 101-W/115/W.Spl/Estt.-Pt.III]

SUNIL KUMAR JHA, Chief Administrative officer/Construction

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2020

का.आ. 4065(अ).—रेलवे (संशोधन) अधिनियम -2008, की धारा 2 के खण्ड (7ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी नीचे तालिका के कॉलम (2) में वर्णित अधिकारी को प्राधिकृत करती है कि वह तालिका के कॉलम (4) में वर्णित रेलवे परियोजना के कार्य-निष्पादन, अनुपालन, प्रबन्धन एवं परिचालन हेतु कॉलम(3) में वर्णित राज्य में सक्षम प्राधिकारी के रूप में कार्य-निष्पादित करें।

तालिका

क्रमांक	सक्षम अधिकारी	राज्य	रेलवे परियोजना का नाम
1	2	3	4
1	विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, अयोध्या	उत्तर प्रदेश	सालारपुर-मालगाड़ी टर्मिनल स्टेशन के रूप में विकास

[फा. सं. 101-W/115/W.Spl/Estt. Pt III]

सुनील कुमार झा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th November, 2020

S.O. 4065(E).—In exercise of the power conferred by clause (7A) of section 2 of The Railways (Amendment) Act-2008, the Central Government hereby authorizes the officer mentioned in column (2) of the table below to perform the functions of the Competent Authority in respect of the Railway Project as mentioned in column (4) of the table, for execution, maintenance, management and operation in the state mentioned in column (3) of the said Table, with effect from the date of publications of this notification in the official Gazette.

S.N.	Competent Authority	State	Name of railway project
1	2	3	4
1	Special Land Acquisition officer, Ayodhya.	Uttar Pradesh	Salarpur-Development as freight terminal station.

[F. No. 101-W/115/W.Spl/Estt.-Pt.III]

SUNIL KUMAR JHA, Chief Administrative Officer/Construction

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2020

का.आ. 4066 (अ).—रेलवे (संशोधन) अधिनियम - 2008, की धारा 20 एफ (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी नीचे तालिका के कॉलम (2) में वर्णित अधिकारी को प्राधिकृत करती है कि वह तालिका के कॉलम (4) में वर्णित रेलवे परियोजना के कार्य-निष्पादन, अनुपालन, प्रबन्धन एवं परिचालन, हेतु कॉलम (3) में वर्णित राज्य में मध्यस्थ के रूप में कार्य-निष्पादित करें।

तालिका

क्रमांक	आर्बिट्रेटर	राज्य	रेलवे परियोजना का नाम
1	2	3	4
1	जिला अधिकारी, अयोध्या	उत्तर प्रदेश	सालारपुर-मालगाड़ी टर्मिनल स्टेशन के रूप में विकास

[फा. सं. 101-W/115/W.Spl/Estt. Pt III]

सुनील कुमार झा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th November, 2020

S.O. 4066 (E).—In exercise of the power conferred by Section 20F(6) of The Railways (Amendment) Act-2008, the Central Government hereby authorizes the officer mentioned in column (2) of the table below to perform the functions of the Arbitrator in respect of the Railway Project as mentioned in column (4) of the table, for execution, maintenance, management and operation in the state mentioned in column (3) of the said Table, with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette.

TABLE

S.N.	Arbitrator	State	Name of railway project
1	2	3	4
1	District Magistrate, Ayodhya.	Uttar Pradesh	Salarpur-Development as freight terminal station.

[F. No. 101-W/115/W.Spl/Estt.-Pt.III]

SUNIL KUMAR JHA, Chief Administrative Officer/Construction